



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा, 2026 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 38/2026

एतद् द्वारा राज्य के सभी राजकीय/अनुदानित/प्रस्वीकृत एवं अनुशासित संस्कृत उच्च विद्यालयों के छात्र/छात्राओं, प्रधानाध्यापकों तथा परीक्षा में संलग्न सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मध्यमा परीक्षा, 2026 का संचालन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा :-

परीक्षा की तिथि एवं दिन	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
		9:45 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक
16/06/2026 मंगलवार	संस्कृत प्रथम पत्र (व्याकरण)	संस्कृत द्वितीय पत्र (साहित्य)
17/06/2026 बुधवार	संस्कृत तृतीय पत्र (वेद, ज्योतिष, दर्शन)	चतुर्थ पत्र (राष्ट्रभाषा हिन्दी)
18/06/2026 गुरुवार	पंचम पत्र (सामाजिक विज्ञान)	षष्ठ पत्र (अंग्रेजी)
19/06/2026 शुक्रवार	विज्ञान	गणित
20/06/2026 शनिवार	पौरोहित्य	संगीत (लेख्यकी) (2:00 बजे अपराह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक)
22/06/2026 सोमवार	गृह विज्ञान (लेख्यकी)	खड़िया/खोरठा/कुरमाली/नागपुरी/पंचपरगनिया/ मैथिली/भोजपुरी/हो/संथाली/मुण्डारी/उराँव
23/06/2026 मंगलवार	वाणिज्य	

1. मध्यमा परीक्षा, 2026 के लिए प्रवेश पत्र परिषद् के वेबसाईट jac.jharkhand.gov.in से दिनांक 08/06/2026 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2. मध्यमा परीक्षा 2026 के लिए प्रायोगिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिनांक 24/06/2026 से 02/07/2026 तक संबंधित विद्यालय के द्वारा ली जायेगी।
3. विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय का प्रायोगिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नपत्र एवं सादा अंक पत्रक परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से विशेष दूत के द्वारा दिनांक 22/06/2026 तक निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इस परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिकाओं की व्यवस्था संबंधित विद्यालय द्वारा करायी जायेगी।
4. सभी विद्यालय प्रधान गृह विज्ञान, संगीत तथा विज्ञान के प्रायोगिक तथा सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के आन्तरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पर अपना हस्ताक्षर अवश्य अंकित करेंगे तथा शीलबन्द लिफाफा में विशेष दूत के माध्यम से दिनांक 07/07/2026 तक परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में अवश्य भेज देंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/Madhyama/41/26-Secy/443/26
Dt.- 29.05.2026

ह0/—
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।